परिशिष्ट –6

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1450 भोपाल,दिनांक 08. 09. 2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– नियमित तथा गुणवत्तायुक्त अध्यापन / शिक्षण हेतु विषयमान के अनुसार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था ।

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उसे अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करके दूर किया जाये। यह देखने में आया है कि अनेक विद्यालयों में विषयमान के अनुसार व्याख्याता / शिक्षक पदस्थ नहीं हैं। इस कारण नियमित अध्यापन व्यवस्था तथा परीक्षा परिणाम अत्याधिक प्रभावित होता है अतः समिति की अनुशंसा को दृष्टि में रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि ऐसे विद्यालयों में जहाँ विषयमान से शिक्षकों की व्यवस्था आवश्यक है वहाँ पर पालक शिक्षक संघ के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विषयमान से स्नातक / स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के सहयोग से अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस हेतु सेवानिवृत्त शिक्षकों के अनुभव का लाभ भी लिया जा सकता है ।

2/ नियमित अध्यापन तथा परीक्षा परिणाम में सुधार लाने की पूरी जबावदारी संस्था प्राचार्य की है । अतः प्रत्येक संस्था प्राचार्य का यह दायित्व है कि संस्था में आवश्यकता का आकलन कर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करके नियमित अध्यापन सुनिश्चित किया जाये। जिन अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है उनके संबंध में पालक शिक्षक संघ की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

3/ अतिथि शिक्षकों के मानदेय की व्यवस्था शाला में उपलब्ध पालक शिक्षक कोष, विज्ञान, क्रीड़ा आदि स्थानीय निधि से की जा सकती है । जिन विद्यालयों में स्थानीय निधि में राशि कम है उन विद्यालयों हेतु आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों के मानदेय की व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्थानीय निधि से की जाना चाहिए ।

4/ यह ध्यान रखा जाये कि नियुक्त किये गये ऐसे अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा ।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1451 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश